उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 102/2021/ 2295/छप्पन-2021-14 (सा0)/2021
लखनऊ, दिनांक: 03 दिसम्बर, 2021

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 की अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई में अपर निदेशक (तकनीकी) के नव सृजित पद पर संविदा के आधार पर भर्ती हेतु विभाग द्वारा प्रकाशित कराए गए विज्ञापन के सापेक्ष कुल 29 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था जिसके अनुक्रम में चयन समिति के समक्ष कुल 26 अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन साक्षात्कार में प्रतिभाग किया गया। अभ्यर्थियों की योग्यता, अनुभव एवं साक्षात्कार में किए गए प्रदर्शन के आधार पर चयन समिति द्वारा श्री पुथन रमेश को अपर निदेशक (तकनीकी) के पद हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पाते हुए रू0 3.00 लाख के नियत मासिक पारिश्रमिक पर पर संविदा के आधार पर 02 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाने की संस्तुति इस आधार पर की गई कि उक्त पद हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा में सक्षम स्तर से छूट प्राप्त कर ली जाए।

2- चयन समिति द्वारा की गई उक्त संस्तुति के अनुक्रम में अपर निदेशक (तकनीकी) के पद हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा के सापेक्ष श्री पुथन रमेश की आयु में लगभग 04 वर्ष से अधिक की शिथिलता सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 के अधीन अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई में अपर निदेशक (तकनीकी) के पद पर श्री पुथन रमेश को संविदा के आधार पर रू0 3.00 लाख के नियत मासिक पारिश्रमिक एवं शासनादेश संख्या-1422/छप्पन-2011-17/2014 दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार 5% की वार्षिक वेतन वृद्धि यथासमय अनुमन्य करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी 02 वर्ष के लिए तैनात किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- श्री पुथन रमेश को उक्त की संविदा अवधि में उपर्युक्त नियत मासिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे।

4- श्री पुथन रमेश से उनकी संविदा सेवा के सम्बन्ध में निर्धारित अनुबन्ध-प्रपत्र पर निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अनुबन्ध निष्पादित करके उसकी एक-एक प्रति श्री पुथन रमेश एवं शासन को उपलब्ध कराई जाएगी।

6- इस पत्र के जारी होने के 20 दिन के अन्दर श्री पुथन रमेश द्वारा स्वीकृति-पत्र प्रेषित करना अनिवार्य है तथा यदि वह इस पत्र की तिथि से 02 माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वत: निरस्त समझा जाएगा एवं विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्य पत्राचार नहीं किया जाएगा।

सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

श्री पुथन रमेश,
14/97,इन्दिरा नगर,
लखनऊ-226016

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ0सं0-102/2021/ 2295(1)/छप्पन-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री पुथन रमेश से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करके उसकी एक-एक प्रति उन्हें एवं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
3. कोषधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।